पत्र संख्या-वी/समा01-1011/मं0सा0-2195

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(सामान्य शाखा)
====

प्रेषक,

श्री रमणी मोहन ठाकुर,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलों के आयुक्त

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार

सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक

आरक्षी उप महानिरीक्षक (सभी क्षेत्र)

सभी जिलाधिकारी

सभी जिला आरक्षी अधीक्षक,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक- 02 अगस्त, 1991. ।

विषय:- स्वतंत्रता दिवस समारोह, 1991.

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त, 1991 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम रहेंगे ।

(क) राष्ट्रीय झंडोत्तोलन

(ख) राष्ट्रीय गान सहित अचल गारद (स्टेटिक गार्ड) द्वारा झंडोविवादन ।

2- झंडोत्तोलन समारोह 9 बजे प्रातः होगा, लेकिन स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समयान्तर किया जा सकता है । यदि सैन्य बल निकट में उपलब्ध हो तो आयुक्त/जिलाधिकारी को स्थानीय सैनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रतिरक्षा सेवा के लोग भी इस समारोह में भाग ले सकें, बशर्ते कि यह सैन्य संचालन के बिना ही संभव हो । इस तरह सम्मान गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) में सेना और पुलिस दोनों रहेंगी । पूर्व की भाँति राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्र सैनिक (बालिका टुकड़ी सहित) और गृह रक्षा वाहिनी (होमगार्ड) भी भाग ले सकते हैं ।

3- गाँधी मैदान, पटना में मुख्य मंत्री जी झंडोत्तोलन करेंगे और सलामी लेंगे । आरक्षी महानिदेशक, बिहार कृपया आयुक्त, पटना प्रमंडल और दानापुर के सैनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर एक सम्मिलित पुलिस और सैनिक परेड की व्यवस्था करेंगे । सैनिक मुख्यालय द्वारा दिये गये स्थायी अनुदेश के अनुसार निचली सैनिक टुकड़ियों को दानापुर से पटना लाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

4- राँची में 15 अगस्त, 1991 को राज्यपाल जी झंडोत्तोलन करेंगे तथा सलामी लेंगे । उपायुक्त, राँची इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करेंगे । राजभवन, राँची में पाँच बजे समारोह का आयोजन किया जाय ।

5- मगध, तिरहुत, दरभंगा, सारण, भागलपुर, सहरसा, दुमका, पूर्णिया तथा छोटानागपुर प्रमंडलों के मुख्यालय में यह समारोह वहाँ के प्रमंडलीय आयुक्तों द्वारा सम्पन्न होगा । इन प्रमंडलों के आयुक्तों से यह भी अनुरोध है कि वे स्थानीय सैनिक अधिकारियों की सलाह से यदि संभव हो तो सैनिक परेड की व्यवस्था कृपया करें ।

6- अन्य जिला मुख्यालयों में वहाँ के जिलाधिकारी झंडोत्तोलन करेंगे एवं मुफस्सिल अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने मुख्यालयों में यह समारोह सम्पन्न करेंगे ।

7- पटना तथा राँची को छोड़कर अन्य प्रमंडलों तथा जिला मुख्यालयों में अगर कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री झंडोत्तोलन करना चाहें तो उन्हें इसकी सुविधा दी जाए ।

8- आयुक्त/जिला पदाधिकारी/अवर प्रमंडल दंडाधिकारी द्वारा इस अवसर पर भाषण दिये जायें जिसमें 15 अगस्त के महत्व को स्पष्ट किया जाए और श्रोताओं को देश की एकता एवं अखण्डता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाय । इस दिन के अन्य समारोहों में खेलकूद, कालेज/स्कूली छात्रों द्वारा पी०टी०प्रदर्शन अथवा अन्य प्रकार के कौशलों का प्रदर्शन, वृक्षारोपण, अंतर्विद्यालय/अंतर्महिलाविद्यालय वाद-विवाद/सामुदायिक कार्य, चुने हुए लड़के/लड़कियों द्वारा 15 अगस्त के महत्व पर वार्ता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता, लघु बचत परिवार कल्याण जैसे कार्यक्रमों को यदि संभव हो तो सम्मिलित करना चाहिए ।

9- उत्पाद विभाग के स्थायी आदेश संख्या-1/1956 के अनुसार 15 अगस्त, 1991 को राज्य भर की शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बन्द रहेंगी ।

10- समारोह के आयोजन पर यथासंभव मितव्ययिता बरती जाए ।

11- मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि वे 25 अगस्त, 1991 को राज्य के सभी स्कूलों तथा कालेजों में विशेष उत्सव का आयोजन करें जिसमें "जनगण मन" का सामूहिक राष्ट्रीय गान की भी व्यवस्था की जाए ।

12- इस पत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न है ।

13- कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भेजें ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(रमणी मोहन ठाकुर)
सरकार के उप सचिव ।

संख्या- 2195 पटना-15, दिनांक- 02 अगस्त, 1991 ।

प्रतिलिपि-ब्रिगेडियर प्रभारी, बिहार एण्ड उड़ीसा सब-एरिया, दानापुर एवं/स्टेशन कमाण्डर, रांची और रामगढ़ को सूचनार्थ अग्रसारित ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना इस विभाग को दें ।

ह0/- सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप संख्या- 2195 पटना, दिनांक- 02 अगस्त0 1991 ।

प्रतिलिपि- राज्यपाल के सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभापति, बिहार विधान परिषद् के आप्त सचिव/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/अपर मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ दूरदर्शन, पटना/ महानिदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2- निदेशक, आकाशवाणी,/दूरदर्शन/महानिदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क से अनुरोध है कि इस समारोह के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार कृपया करें ।

3- मानव संसाधन विकास विभाग से अनुरोध है कि सभी विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों/ स्कूलों को आवश्यक अनुदेश दें कि उनके यहाँ विशेष समारोह की व्यवस्था की जाए, जिसमें "जनगण मन" का सामूहिक गान भी सम्मिलित रहे ।

4- उत्पाद आयुक्त से अनुरोध है कि पत्र क. कंडिका-9 के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करें ।

ह0/-

ह0/- सरकार के उप सचिव।